न्ययालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2007

A 478-III/07

द्वारा आज दि० 21-3-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

रामशरण तनय श्री गोकुल साहू, निवासी–ग्राम कचनी, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी (म0प्र0) —— अपीलार्थी / प्रार्थी

बनाम

1. छोटेलाल साह तनय बन्दुल साहू,
2. तुलसी प्रसाद साहू तनय श्री बन्दुल साहू,
3. हीरा लाल साहू तनय श्री बन्दुल साहू,
4. कन्हैयालाल साहू तनय श्री बन्दुल साहू, सभी निवासी–ग्राम कचनी, सिंगरौली, जिला सीधी (म.प्र.)
5. पटवारी हल्का कंचनी, नं–27, रा.नि.म. गिर्द बेढ़न, जिला शिवपुरी, (म.प्र.)
6. कुमार आंनद तनय श्री एस.के. मिश्रा निवासी–ग्राम बेढन, थाना बेढ़न, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी (म.प्र.)
7. श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री आनंद सिंह, निवासी– ग्राम बेढन, थाना बेढ़न, तहसील सिंगरौली, जिला सीधी (म.प्र.)

—— प्रतिअपीलार्थीगण / प्रतिप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.) आदेश दिनांक 02/03/07, प्रकरण क्रमांक–775/अपील/05–06, अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 478–दो/2007 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 775/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार सिंगरौली द्वारा दिनांक 29.07.05 काबिजदार एवं भूमिस्वामी को नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया और दिनांक 08.08.05 को काबिजदार उपस्थित हुआ तथा भूमिस्वामी का सम्मन वाद की तामील वापस प्राप्त हुआ और दिनांक 18.08.05 करते हुये आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सम्मन में किसी तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर नहीं है तथा सभी भूमिस्वामी एक साथ नोटिस लेने से इंकार किये है । लेकिन नोटिस को	

देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाले है वह उचित है क्योंकि सभी भूमिस्वामी एक साथ नोटिस लेने से इंकार नहीं कर सकते है। यह स्थिति संदेह के दायरे में आती है । मध्यप्रदेश भू–अभिलेख नियमावली के अध्याय 5 की कंडिका 6 के अनुसार कब्जा लिखे जाने के निर्देश है जिसके आधार पर ही कब्जा लिखा जा सकता है । इस प्रकरण में अनावेदकगण को बिना सुने पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर कब्जा लिखे जाने का आदेश पारित किया गया है । जबकि कोई प्रतिवेदन मात्र प्रतिवेदन होता है उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं होता जब तक कि न्यायालय में उस पर साक्ष्य न ली जाये। जहां कब्जा लिखे जाने का या गलत प्रविष्टि लिखे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में **मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत– खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों मे गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण**–" यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निर्देश देगा । " धारा 115 की व्याप्ति केवल धारा 114 के अधीन की गई प्रविष्टि तक सीमित है। इस धारा के अधीन शुद्धीकरण तहसीलदार की

स्वप्रेरणा से ही किया जा सकता है । किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं । आवेदन पर शुद्धीकरण धारा 116 के अंतर्गत आता है । इसी तरह **संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत–खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद–"** यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा। तहसीलदार, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे मामलें में आवश्यक आदेश देगा। " क्योंकि कब्जे की प्रविष्टि के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है और इसलिये न्याय हित में अंनिर्हित शक्तियों के अधीन इस संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा अपने आदेश में की गई है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.07 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य